

भाग -IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	CE, Kanpur and Cr Agraकी संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।
	(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये)	

दिनांक:

स्थान:

14/11/19

हस्ताक्षर

Pankaj Misra

Chief Executive Officer, Forest Conservation
(नाम साफ अक्षरों में)
Forest Conservation Act, 1980

सरकारी मोहर